

# रहवासी मकान से दो करोड़ का मादक पदार्थ बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

आरोपी पढ़ाई के उद्देश्य से मकान में किराएदार के रूप में रहकर तस्करी कर रहे थे

बाड़मर, (निस)। जिला स्पृशल टीम व कोतवाली पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए शहर के शास्त्री नगर इलाके में स्थित एक रहवासी मकान में दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद किए गए मादक पदार्थों की कीमत दो करोड़ रुपए आंकी गई है। आरोपी पढ़ाई के उद्देश्य से मकान में किराएदार के रूप में रहकर तस्करी कर रहे थे। मुख्यिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इस मामले में मकान मालिक सहित पांच अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

पुलिस ने रहवासी मकान में अवैध मादक पदार्थ बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

सुन्नाह पर जला पुलिस पश्चात दृष्टि और कोतवाली थाने पुलिस की टीम ने शहर के शास्त्री नगर स्थित हेमराज सोनी के मकान में दबिश दी। पुलिस ने मकान में किराएदार के रूप में रह रहे आरोपी मनोहर लाल पुत्र सुजानाराम विश्नोई निवासी सोमरड़ी, सेंडवा और भरतसिंह पुत्र विरधसिंह राजपूत निवासी धांधलों की ढाणी, बाखासर को दस्तयाब कर मकान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस ने 987 ग्राम एमडी व 189 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया। बरामद किए गए मादक पदार्थों की कीमत 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके साथ की पुलिस ने मकान से मादक पदार्थों के माप तौल के लिए प्रयुक्त किए जाना वाला इलेक्ट्रॉनिक कांटा, प्लास्टिक की थैलियां व पाउच, नकद 7100 रुपए, तीन बंद मोबाइल, दुपहिया व चार पहिया वाहनों की अलग-अलग

## जिला कारागृह की सघन तलाशी

राजाड़ा, (ग्राम) स्थानापुरुलै शासन ने शनिवार को जिला कारणगृह संघन तलाशी ली। जिला कारणगृह धीक्षक ने बताया कि इस दौरान अतिरिक्त जिला मार्जिस्ट्रेट प्रतिभा विठिया के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस धीक्षक पारस जैन, मनीष आईपीएस औ सिरी, प्रशिक्षु आई.पी.एस. शिवा र्मा, पुलिस थाना भीमगंज से सुरजीत, लेस थाना कोतवाली से भंवरलाल, औ सदर भीलवाडा श्यामसुन्दर, लेस थाना प्रतापनगर से जेन्डर सिंह, लेस थाना सुभाषनगर से शिवराज एवं सिरी स्टेला व उप कारापाल हीरालाल औ मौजूदी विनिर्देशन में पुलिस जाब्ता र कारणगृह की संधन तलाशी ली गई।

# आनंदपाल के भाई रूपेंद्रपाल को हाईकोर्ट से राहत मिली

जोधपुर, (कासं) गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के बाई रूपेंद्रपाल सिंह उर्फ विक्की को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने रूपेंद्रपाल सिंह उर्फ विक्की को पुलिस धाराधिकारी पर फायरिंग के मामले में जमानत दी है। हाईकोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलक और 25-25 हजार रुपए की दो जमानतों पर रूपेंद्रपाल सिंह को रिहा करने के आदेश दिए हैं।

रूपेंद्रपाल को 2016 में डीडवाना जिले के जसवंतगढ़ थाने में दर्ज मामले

में जमानत दी गई। इस मामले में आरोप है कि आनंदपाल सिंह और उसके साथियों ने सांवराद गांव में जसवंतगढ़ थाना अधिकारी लालू सिंह पर फायरिंग की थी। इसमें वे घायल हो गए थे। इस मामले में आनंदपाल सिंह के भाई रुपेंद्रपाल सिंह को भी आरोपी बनाया गया था। आनंदपाल की मौत पर भी रुपेंद्रपाल को जमानत नहीं मिली थी। रुपेंद्रपाल सिंह जेल से बाहर आएगा या नहीं? इस पर अभी संशय है। उस पर अनेक गंभीर अपराधों के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में

माना जा रहा है कि पुलिस उसे जमान मिलते ही अन्य मामलों में वापस गिरफ्त कर लेगी। इससे उसका जेल से बाहर आना मुश्किल नजर आ रहा है।

इस मामले में रूपेंद्रपाल सिंह ही हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना सहित अनेक धाराओं के तहत मामले दर्ज किया गया था। इस मामले रूपेंद्रपाल सिंह पिछले सात साल से जेल में बंद था। इस मामले को लेकर डीवाना कोर्ट में कई बार जमानत व

त अपील लगाई गई, लेकिन कोर्ट  
पार खारिज कर दी। उसके बाद रूपेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में अपील की। इस  
इर तहत जरिट्स कुलदीप माथुर  
पर रूपेंद्रपाल सिंह की जमानत याचिका  
पर मंजूर कर आदेश जारी कर दिया।  
पर और हाईकोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचल  
ने मंजूर कर आदेश जारी कर दिया।  
ता और 25-25 हजार रुपए की  
में जमानतों पर रूपेंद्र पाल सिंह को फ्री  
ल करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में  
र रूपेंद्र पाल की ओर से एडवोकेट  
नी चेतनसिंह मामरोली ने पैरवी की।

# रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी, दो गिरफ्तार

- तीन लाख रुपए हड्डपने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था

नौकरी लगाने के नाम पर तीन लाख

में जोधपुर, (कासं)। जिला उपभोक्ता पर के विवरों की दिवारी खुलखुड़िया ने दो अधिकारियों की ओर से दायर अलग-अलग परिवाद मंजूर कर राहत दिलाते हुए एक प्रकरण में इंडियन बैंक को प्रार्थी के बचत खाते से अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा 48 हजार निकालने पर राशि मय गत वर्ष 9 जून को इंडियन बैंक से प्राप्त होने पर उन्होंने साइबर पुलिस थाने में रपट दर्ज करवाई और बैंक को भी सूचित कर दिया कि यह राशि किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा निकाली गई है। साइबर थाने के निर्देश पर बैंक ने 48 हजार रुपए होल्ड कर 27 जून को परिवादी के बैंक खाते में जमा कर दी और 30 जून को यह राशि बिना बताए दोष प्रमाणित है। दूसरे मामले में विनीत दवे ने परिवाद दायर कर कहा कि उन्होंने 8 जुलाई 2022 को 472 लीटर का 59 हजार 500 रुपए में लिंबेर कंपनी का फ्रिज खरीदा, लेकिन वारंटी अवधि में ही फ्रिज खराब होने से दुर्गम आने लगी और निर्माता कंपनी की ओर से कई बार पार्ट और यहां तक कि कंप्रेशर भी

व्याज रिफंड करने का आदेश दिया है। वहीं दूसरे मामले में लिखेर एप्लायंसेज इंडिया को निर्देश दिया है कि खराब फ्रिज की कीमत 59 हजार 500 रुपए मय व्याज लौटाए। दोनों में ही पांच-पांच हजार रुपए हर्जाना भी लगाया है। सुनीत भंडारी ने परिवाद दायर कर कहा कि उनके बचत खाते से चौबीस चौबीस हजार रुपए निकासी का संदेश ही कम कर दी। बैंक की ओर से कहा गया कि रशि निकासी में उनका कोई दोष नहीं है। जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद मंजूर करते हुए कहा कि बैंक को जानकारी होने के बावजूद उन्होंने न तो परिवादी को और न ही पुलिस को बताया कि रशि किसके खाते में गई थी सो बैंक की सेवा में कमी और सेवा बदला लेकिन फ्रिज ठीक नहीं होने से उन्हें दूसरा फ्रिज खरीदना पड़ा। जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद मंजूर करते हुए कहा कि लिखेर एप्लायंसेज इंडिया ने परिवादी को दोष से ग्रसित फ्रिज बेचकर अनुचित व्यापार व्यवहार किया है। दोनों परिवादी की ओर से अधिवक्ता अनिल भंडारी ने बहस की।

एक ने महिला को कुचला,

# गों ने जाम लगाया

क अपने वाहन को भगाकर ले गया बाढ़ में पकड़ा गया

A black and white photograph showing a dense crowd of people from behind, looking towards the right. Some individuals in the foreground are wearing caps and jackets, suggesting a cool environment. The background shows a city street with buildings and trees.

और ग्रामीणों ने धनूरी पुलिस को फोन लेकिन ग्रामीण इस रोड पर ब्रेकर अदसे किया। इधर रोड पर जाम लगा दिया। बनवाने, मामले की निष्पक्ष जांच एहन धनूरी पुलिस ने ट्रक चालक को करवाने, मिनी ट्रक चालक के खिलाफ हुई। जिसमें सहमति बनने के बाद जाम खोला गया। फिलहाल मृतक महिला का शव राजकीय बैठकीके अस्पताल की मोर्चेरी में रखवाया गया है। जिसका रविवार सुबह पोस्टमार्टम

**नव सेवा को  
उपराष्ट्रपति**

# ग्रामीण

## हाउसे के बाहू मिनी टक चालते

परिवार को सहायता दिलाने तथा परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दिलाने की मांग को लकर जाम लगा दिया।

और ग्रामीणों ने धनूरी पुलिस को फोन लेकिन ग्रामीण इस रोड पर ब्रेकर अदसे किया। इधर रोड पर जाम लगा दिया। बनवाने, मामले की निष्पक्ष जांच वहन धनूरी पुलिस ने ट्रक चालक को करवाने, मिनी ट्रक चालक के खिलाफ हुई। जिसमें सहमति बनने के बाद जाम खोला गया। फिलहाल मृतक महिला का शव राजकीय बैठकीके अस्पताल की मोर्चेरी में रखवाया गया है। जिसका रविवार सुबह पोस्टमार्टम

उन्होंने भारत की चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के आगे से आगे मुधर होन पर खुशी जाहिर की बल्कि उन्होंने अपना पूरा संबोधन मानव सेवा से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं और समय के साथ चिकित्सा व्यवस्थाओं में होकर मौके पर नरेगा में काम करने वाली महिलाओं ने बताया कि बच्चों के सिर को कहीं से कुते उठा कर लाए हैं। थाना अधिकारी झाझिया ने बताया कि पुलिस ने बच्चे के सिर को अपने कब्जे में ले लिया और राजकीय उप जिला

अशोक चौधरी ने समझाइश कर रास्ता खुलावाया।  
जानकारी के मुताबिक गांव की बुजुर्ग महिला भगवती देवी पत्नी नंदलाल मांजू अपने पीहर जाकर हुंझुनू से बस में बैठकर भूरासर का बास गांव पहुंची थी। बस स्टैंड पर बस से उत्तरते ही हुंझुनू की तरफ से आ देवी की ओर से एक छोटी लड़की आ देवी की ओर से एक छोटी लड़की

और ग्रामीणों ने धनूरी पुलिस को फोन लेकिन ग्रामीण इस रोड पर ब्रेकर अदसे किया। इधर रोड पर जाम लगा दिया। बनवाने, मामले की निष्पक्ष जांच एहन धनूरी पुलिस ने ट्रक चालक को करवाने, मिनी ट्रक चालक के खिलाफ